न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री ओ0 पी0 चन्देलिया

प्रकरण सं0 : 101/2019

उनवान : जगदीश पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा हाल निवासी खैराकलां तहसील सर्दुलगढ जिला मानसा पंजाब।
2. महेन्द्र पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा हाल निवासी खैराकलां तहसील सर्दुलगढ जिला मानसा पंजाब।
3. मदनलाल पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा हाल निवासी खैराकलां तहसील सर्दुलगढ जिला मानसा पंजाब।
4. सन्तलाल पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा हाल निवासी खैराकलां तहसील सर्दुलगढ जिला मानसा पंजाब।
5. सन्तोष पत्नी स्व0 बलवीर पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा हाल निवासी खैराकलां तहसील सर्दुलगढ जिला मानसा पंजाब।
6. उज्जवल पुत्र स्व0 बलवीर पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा हाल निवासी खैराकलां तहसील सर्दुलगढ जिला मानसा पंजाब।
7. ममता पुत्री स्व0 बलवीर पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा हाल निवासी खैराकलां तहसील सर्दुलगढ जिला मानसा पंजाब।
8. फुलाराम पुत्र रामुराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।(फौत)
   8ए – सुरेन्द्र कुमार पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा
   8बी – बाधोदेवी पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा
   8सी – कमला पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा
   8डी – मेवादेवी पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा
   8ई – गोरां पत्नी स्व0 महेन्द्रसिंह पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा
   8एफ – अगुरी पत्नी फुलाराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा
9. शारदा पत्नी प्रतापसिंह पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त0 भादरा।
10. ममता पुत्री प्रतापसिंह पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त0 भादरा।
11. बेबी पुत्री प्रतापसिंह पुत्र काशीराम जाति जाट निवासीं शिवदानपुरा तहसील भादरा।
12. सन्दीप पुत्र प्रतापसिंह पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त0 भादरा।
13. गोपीराम पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
14. इन्द्रोदेवी पत्नी स्व0 राजकुमार पुत्र काशीराम जाति जाट नि0 शिवदानपुरा त0 भादरा।
15. सुभाषचन्द्र पुत्र स्व0 राजकुमार पुत्र काशीराम जाति जाट नि0 शिवदानपुरा त0 भादरा।
16. सुरेश कुमार पुत्र स्व0 राजकुमार पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा। (फौत डिलिट)
17. जतीन पुत्र स्व0 सुरेश कुमार पुत्र काशीराम नाबालिग जरिये कुदरती वली दादी इन्द्रो देवी पत्नी स्व0 राजकुमार जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त0 भादरा।
18. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।
19. किताब कौर पुत्री काशीराम पत्नी मांगेराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा हाल निवासी गुरेरा तहसील सिवानी जिला भिवानी हरियाणा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0काश्त0अधि0 1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.09.19 16:01:00 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित : श्री [illegible]राम गोस्वामी : वादी

वकील श्री स[illegible] बेनीव[illegible] : प्रतिवादी सं0 1 ता 5 व 7

वकी[illegible] सुरेन्द्र माल : प्रतिवादी सं0 6

दिनांक 07.09.2024

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा शिवदानपु[illegible] ख0सं0 24 की 6.677 है0, [ख]0सं0 148 की 0.101 है0, ख0सं0 245 की 4.793 है0, ख0सं0 249 की 0.847 है0 कुल 12.418 है0 बारानी [कृषि]भूमि में प्रतापसिंह, गोपीराम व वादी जगदीश पिसरान काशीराम के नाम से 1/8 हिस्सा, स्व0 सहीराम,

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

पिसरान रामुराम के नाम से 2/6 हिस्सा, स्व0 अमरू वल्द किरताराम के नाम से 1/2 हिस्सा, पत्नी राजकुमार, सुभाषचन्द्र, स्व0 सुरेशकुमार पि0 राजकुमार के नाम से 1/24 हिस्सा खातेदारी रोही मौजा शिवदानपुरा के खाता सं0 52/56 के ख0सं0 52 की 2.896 है0 बारानी वादभूमि में गोपीराम व वादी जगदीश पिसरान काशीराम के नाम से 1/4 हिस्सा, स्व0 सहीराम, फुलाराम रामुराम के नाम से 2/3 हिस्सा, इन्द्रोदेवी पत्नी राजकुमार, सुभाषचन्द्र, स्व0 सुरेशकुमार पि0 ार के नाम से 1/12 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

उक्त वादभूमि वादी के परदादा किरताराम की खातेदारी हुआ करती थी। किरताराम के देहान्त होने वादभूमि किरताराम के दो पुत्र रामुराम व अमरू को विरासतन में बहिस्सा बराबर के अनुसार मिल । अमरूराम के लावल्द देहान्त होने पर कुल भूमि रामुराम को प्राप्त हो गई। रामुराम के कुल तीन शीराम, सहीराम व फुलाराम थे। काशीराम, सहीराम व फुलराम को उक्त भूमि रामुराम के देहान्त बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में प्राप्त हो गई थी तथा उक्त वादभूमि के अलावा तीनों के पास पंजाब में भी कृषि भूमि थी।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 5, 7, 19 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 के द्वारा इकबालदावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 8 ता 17 को वादी द्वारा तर्क अंकित किया गया। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 5, 7, 19 द्वारा आपसी सहमती से ामा पेश किया गया प्रतिवादी संख्या 6 के द्वारा इकबालदावा पेश किया जाने पर तनकी की कोई यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में जगदीश पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा के बयान ये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी ग्राम शिवदानपुरा सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 52/56 प्रदर्श ा संख्या 53/65 प्रदर्श 2, खाता संख्या 56/57 सम्वत 2068–2071 प्रदर्श 3, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण रदारा उर्फ अमरूराम प्रदर्श 4, मृत्यु प्रमाण पत्र फूलाराम प्रदर्श 5, विरासतन नामान्तरण हेतु प्रार्थना दर्श 6, सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गढड़ा प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये गये। तहसीलदार भादरा से ान के संबंध में रिपोर्ट ली गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया ाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा स प्रकार मुताबिक राजीनामा काशीराम, सहीराम व फुलाराम के पास उक्त वादभूमि के अलावा पंजाब कृषि भूमि हुआ करती थी तीनों भाइयों के भाई बंटवारे में पंजाब वाली भूमि सहीराम के हिस्से में आ तथा वादभूमि काशीराम व फुलाराम को 1/2–1/2 हिस्से के अनुसार प्राप्त हो गई थी। काशीराम हिस्सा काशीराम के देहान्त होने पर वादी जगदीश व प्रतिवादी गोपीराम को संयुक्त रूप से 1/2 ा, प्रतिवादी शारदा, ममता, बेबी, सन्दीप को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी इन्द्रो देवी, सुभाष , जतिन संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सुरेन्द्र कुमार, बाधोदेवी, कमला, मेवादेवी, अंगूरी, गोरा संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 ता 7, 19 ने अपना हक हिस्सा काशीराम व फुलाराम वारिसान के पक्ष में तर्क कर शुन्य कर लिया व वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी ी किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया [illegible] पत्रा[illegible] प्रस्तुत दस्तावेज का न पूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार [illegible] भू.अ./[illegible] दिनांक 25.06.2024 के ध्यम से प्राप्त रिपोर्ट में सुरेश की पत्नी दर्शना मौजूद दर्शाई गई है। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम वदानपुरा के राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करने हेतु वाद पेश किया है। वादी दावा की पुष्टि में जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 7 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.09.19 16:01:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

जगदीश बनाम धर्मपाल

वदानपुरा के ख0सं0 24 की 6.677 है0, ख0सं0 148 की 0.101 है0, ख0सं0 245 की 4.793 है0, ख0सं0 9 की 0.847 है0 कुल 12.418 है0 बारानी वादभूमि में प्रतापसिंह, गोपीराम व वादी जगदीश पिसरान शीराम के नाम से 1/8 हिस्सा, स्व0 सहीराम, फुलाराम पिसरान रामुराम के नाम से 2/6 हिस्सा, स्व0 ल्द किरताराम के नाम से 1/2 हिस्सा, इन्द्रोदेवी पत्नी राजकुमार, सुभाषचन्द्र, स्व0 सुरेशकुमार पि0 कुमार के नाम से 1/24 हिस्सा तथा रोही मौजा शिवदानपुरा के 52/56 के ख0सं0 52 की 2.896 है0 नी वादभूमि में प्रतापसिंह, गोपीराम व वादी जगदीश पिसरान काशीराम के नाम से 1/4 हिस्सा, राम, फुलाराम पिसरान रामुराम के नाम से 2/3 हिस्सा, इन्द्रोदेवी पत्नी राजकुमार, सुभाषचन्द्र, कुमार पि0 राजकुमार के नाम से 1/12 हिस्सा के स्थान पर वादी जगदीश 1/8 हिस्सा एवं प्रतिवादी राम 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी शारदा पत्नी प्रतापसिंह, ममता, बेबी, सन्दीप पिसरान प्रतापसिंह 1/8 ा बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी इन्द्रोदेवी, सुभाषचन्द्र, जतिन 1/8 हिस्सा बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी सुरेन्द्र र पुत्र फूलाराम, बाधोदेवी, कमला, मेवादेवी पुत्रियां फुलाराम, अंगूरी पत्नी फुलाराम, गोरां पत्नी महेन्द्र पुत्र फुलाराम 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 उक्त वादभूमि मे कोई हक हिस्सा नहीं है इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के र पर काबिल स्वीकार होने पर आंशिक स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है घोषणा की जाती है कि वाद भूमि रोही मौजा शिवदानपुरा के ख0सं0 24 की 6.677 है0, ख0सं0 148 0.101 है0, ख0सं0 245 की 4.793 है0, ख0सं0 249 की 0.847 है0 की कुल 12.418 है0 बारानी दारी व रोही मौजा शिवदानपुरा के खाता संख्या 52/56 के ख0सं0 52 की 2.896 है0 बारानी खातेदारी दी जगदीश 1/8 हिस्सा एवं प्रतिवादी गोपीराम 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी शारदा पत्नी प्रतापसिंह, ममता, सन्दीप पिसरान प्रतापसिंह 1/8 हिस्सा बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी इन्द्रोदेवी, सुभाषचन्द्र, सुरेश कुमार हिस्सा बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी सुरेन्द्र कुमार पुत्र फुलाराम, बाधोदेवी, कमला, मेवादेवी पुत्रियां राम, अंगूरी पत्नी फुलाराम, गोरा पत्नी स्व. महेन्द्र सिंह पुत्र फुलाराम 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर के दार घोषित किये जाते है तथा वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7, 19 का कोई हक हिस्सा नहीं है। भूमि में से सहीराम, अमरू व फुलाराम का नाम कलमजन कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर र्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। आंशिक पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02-09-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02-09-24

(ओम प्रकाश चन्देलिया) RAS

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक)

जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.09.19 16:01:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री ओम प्रकाश चन्देलिया RAS

प्रकरण सं० : 101/2019

वादी : जगदीश पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा। :— वादी

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा हाल निवासी खैराकलां तहसील सर्दुलगढ जिला मानसा पंजाब।
2. महेन्द्र पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा हाल निवासी खैराकलां तहसील सर्दुलगढ जिला मानसा पंजाब।
3. मदनलाल पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा हाल निवासी खैराकलां तहसील सर्दुलगढ जिला मानसा पंजाब।
4. सन्तलाल पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा हाल निवासी खैराकलां तहसील सर्दुलगढ जिला मानसा पंजाब।
5. सन्तोष पत्नी स्व0 बलवीर पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा हाल निवासी खैराकलां तहसील सर्दुलगढ जिला मानसा पंजाब।
6. उज्जवल पुत्र स्व0 बलवीर पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा हाल निवासी खैराकलां तहसील सर्दुलगढ जिला मानसा पंजाब।
7. ममता पुत्री स्व0 बलवीर पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा हाल निवासी खैराकलां तहसील सर्दुलगढ जिला मानसा पंजाब।
8. फुलाराम पुत्र रामुराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।(फौत)
   8ए – सुरेन्द्र कुमार पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा
   8बी – बाधोदेवी पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा
   8सी – कमला पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा
   8डी – मेवादेवी पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा
   8ई – गोरां पत्नी स्व0 महेन्द्रसिंह पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा
   8एफ – अगुरी पत्नी फुलाराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा
9. शारदा पत्नी प्रतापसिंह पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त0 भादरा।
10. ममता पुत्री प्रतापसिंह पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त0 भादरा।
11. बेबी पुत्री प्रतापसिंह पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
12. सन्दीप पुत्र प्रतापसिंह पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त0 भादरा।
13. गोपीराम पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
14. इन्द्रोदेवी पत्नी स्व0 राजकुमार पुत्र काशीराम जाति जाट नि0 शिवदानपुरा त0 भादरा।
15. सुभाषचन्द्र पुत्र स्व0 राजकुमार पुत्र काशीराम जाति जाट नि0 शिवदानपुरा त0 भादरा।
16. सुरेश कुमार पुत्र स्व0 राजकुमार पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा। (फौत डिलिट)
17. जतीन पुत्र स्व0 सुरेश कुमार पुत्र काशीराम नाबालिग जरिये कुदरती वली दादी इन्द्रो देवी पत्नी स्व0 राजकुमार जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त0 भादरा।
18. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।
19. किताब कौर पुत्री काशीराम पत्नी मांगेराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा हाल निवासी गुरेरा तहसील सिवानी जिला भिवानी हरियाणा। :— प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक [illegible] के समक्ष, वकील वादी श्री [illegible]शीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री [illegible] बैनीवाल व [illegible] की उपस्थिति में निर्णय [illegible] राजीनामा [illegible] किया जाता है [illegible] प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने [illegible] है0, ख0सं0 148 की 0.101 [illegible] घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शिवदानपुरा के ख0सं0 [illegible] की कुल 1[illegible] है0 बारानी खातेदारी व रोही [illegible], ख0सं0 245 की 4.793 है0, ख0सं0 249 की 0.847 है0 की कुल [illegible] ख0सं0 52 की 2.896 है0 बारानी खातेदारी में वादी [illegible] मौजा शिवदानपुरा के खाता संख्या 52/56 के ख0सं0 52 की 2.896 है0 बारानी खातेदारी में वादी जगदीश 1/8 हिस्सा एवं प्रतिवादी गोपीराम 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी शारदा पत्नी प्रतापसिंह, ममता, बेबी,

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.09.19 16:01:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...दीप पिसरान प्रतापसिंह 1/8 हिस्सा बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी इन्द्रोदेवी, सुभाषचन्द्र, सुरेश कुमार 1/8 ...स्सा बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी सुरेन्द्र कुमार पुत्र फुलाराम, वाधोदेवी, कमला, मेवादेवी पुत्रियां फुलाराम, ...ूली पत्नी फुलाराम, गोरा पत्नी स्व. महेन्द्र सिंह पुत्र फुलाराम 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार ...षित किये जाते है तथा वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7, 19 का कोई हक हिस्सा नहीं है। वादभूमि में ...सहीराम, अमरू व फुलाराम का नाम कलमजन कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि ...क के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड ...रूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह आंशिक पर्चा डिक्री आज दिनांक 02-09-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से ...ारी की गई।

(ओम प्रकाश चन्देलिया) RAS
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.09.19 16:01:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner